राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–3) विभाग

कमांक–प 8(17)कृषि–3/2020 जयपुर, दिनांकः 09.08.2023

समन्वयक,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2023
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।

विषयः–निर्वाण विश्वविद्यालय, बस्सी, जयपुर को संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2023 में सम्मिलित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्वाण विश्वविद्यालय, बस्सी, जयपुर को कृषि संकाय (बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम) में संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2023 के माध्यम से 60 (अक्षरे साठ) छात्र काउसलिंग के आधार पर सत्र 2023–24 के लिए आवंटित किये जाने की स्वीकृति निम्नाकित शर्तो के अनुसार एतद द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से एकिडिटेशन एवं मापदण्डों की एक वर्ष में पूर्ति करना आवश्यक है अन्यथा आगामी सत्र हेतु आवेदन मान्य नहीं होगें।
2. इस विभाग के दिशा निर्देशों के कम में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार द्वारा जांच कर विश्वविद्यालय में नवीन प्रवेश पर रोक लगा सकेगी तथा दी गयी अनुमति भी प्रत्याहरित की जा सकेगी।
3. विश्वविद्यालय के कैम्पस में संचालित बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यकम में सत्र 2023–24 में छात्रों का प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य प्रकार के माध्यम से नही लिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की पालना हेतु कटिबद्व रहेगा।

भवदीय

(कुन्तल विश्नोई)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–
1. विशिष्ठ सहायक, मा. कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
4. कुलसचिव, निर्वाण विश्वविद्यालय, बस्सी, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव